

सहायक कलेक्टर चौम
 अज्ञानता बनाम ओमप्रकाश

क्र. 40 108/20

प्राद

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/1/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>17/3/23</u> को पेश हो	
	17/3/23	तकिलों द्वारा आज कण्डोलेस/कार्य रिधागित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक <u>05/06/23</u> को पेश हो	
	05/6/23	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>08.06.23</u> को पेश हो।	
	08.06.23	पत्रावली पेश हुई। वादी मध्य अधिकारी उपर्युक्त वादी वकील द्वारा पत्रावली पर बिद्धा का पेशा कर विवेचन किया गया कि पक्षकारों में आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने के कारण वादी ठाकुर प्रकरण में हाजिरी नोई लाभकारी नहीं पाया है तथा प्रकरण को बिद्धा लिये जाने का विवेचन किया। पत्रावली व पत्रावली पर लो अवलोकन किया गया। चूंकि पक्षकारों में आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है व वादी वाद को बिद्धा करने पाया है। अतः वादी को वाद पर बिद्धा करने की अनुमति दी जाती है। वाद को बिद्धा ले हाथ्यार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल अंगार ठाकुर दर्ज नम्बर से कत है तथा दाखिल दफ्तर हो।	

राजेश्वरी राजा
 मोहन
 J. D. Singh
 J. D. Singh
 हाथ्यार
 जे. पी. सिंह

सहायक कलेक्टर चौम (अ.प्र.उ.)